

न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
समक्ष-डी0सी0थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 100046 / 16 वैवाहिक

श्रीमती प्रियंका पत्नी अमित सिंह पुत्री
हरीसिंह राणा आयु 24 साल जाति जाट
ठाकुर निवासी गंगापुरा जवाहर गंज
कालोनी डबरा जिला ग्वालियर हाल
निवासी ग्राम झांकरी तहसील गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

-----आवेदिका

बनाम

अमितसिंह पुत्र श्री अजीतसिंह आयु 27
साल जाति जाट ठाकुर निवासी गंगापुरा
जवाहर गंज कालोनी डबरा जिला
ग्वालियर म0प्र0

-----अनावेदक

आवेदिका द्वारा श्री सुनील कांकर अधिवक्ता
अनावेदक द्वारा श्री महेश श्रीवास्तव अधिवक्ता

//नि र्ण य//

// आज दिनांक 17-1-2017 को पारित किया गया //

- 1- वर्तमान याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत विवाह के उभयपक्षकारों के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित किये जाने वाबत् पेश किया गया है, जिसका कि निराकरण किया जा रहा है ।
- 2- उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्रीमती प्रियंका (जो कि आवेदन पत्र में आवेदिका के रूप में वर्णित किया गया है) एवं अमितसिंह (जो कि आवेदनपत्र में अनावेदक के रूप में वर्णित किया गया है) (जिन्हें कि सुविधा की दृष्टि से पक्षकार क्रमांक 1

व 2 के रूप में वर्णित किया जायेगा) का विवाह दिनांक 31-1-13 को हिन्दू रीति रिवाज से डबरा में सम्पन्न हुआ था । विवाह के उपरान्त लगभग तीन माह तक आवेदिका व अनावेदक के मध्य मधुर संबंध रहे किन्तु उसके उपरांत पारस्परिक विचारों में मेल न होने के कारण आये दिन झगडा होने लगे जिस कारण उनके जीवन की मधुरता भंग हो गयी । आवेदिका एवं अनावेदक छोटी छोटी बातों को लेकर ग्रह क्लेश होने लगा और दोनों के मध्य दूरिया स्थापित हो गयी । दोनों के परिवार वालों ने सुलह कराने का काफी प्रयास किया किन्तु दोनों के मध्य वैचारिक मतभेद होने के कारण सामन्जस्य स्थापित नहीं हो सका और न ही कोई सन्तान सुख प्राप्त कर सके । दिसम्बर 2014 से आवेदिका व अनावेदक एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हैं अब दोनों के मध्य सामन्जस्य स्थापित होने की भी कोई संभावना नहीं है । अनावेदिका ने अपना सम्पूर्ण सामान जो विवाह में दिया गया था वह प्राप्त कर लिया है तथा भरण पोषण की राशि भी प्राप्त कर ली है अब अनावेदिका का किसी प्रकार का भरण पोषण व विवाह में दिया गया सामान आवेदक पर शेष नहीं है । उभयपक्षकारों के आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद हेतु आवेदनपत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है तथा प्रार्थना की है कि आवेदकगण के हक में दिनांक 31-1-13 को सम्पन्न हुये विवाह को परस्पर सहमति के आधार पर विघटित करने की डिक्री पारित करने का निवेदन किया गया है ।

3- उभयपक्षकारों के द्वारा वर्तमान विवाह विच्छेद याचिका न्यायालय के समक्ष दिनांक 11-7-16 को पेश किया गया उसके उपरांत न्यायालय के द्वारा आगामी तिथियां नियत की गयी । उपरोक्त याचिका के संबंध में पक्षकार कं01 श्रीमती प्रियंका एवं पक्षकार कं02 अमितसिंह को न्यायालय के द्वारा पूछताछ की गयी और उनके कथन लेखबद्ध किये गये । पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार के समझौता, सुलह होने की संभावना से साफ तौर से इन्कार करते हुये उनके द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमति के आधार पर तलाक आवेदनपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है । धारा 13 ख हिन्दू विवाह के अन्तर्गत याचिका पेश हुये 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है ।

4- उभयपक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद याचिका के संबंध में विचार किया गया । पक्षकारों का हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार विवाह सम्पन्न होना तथा पक्षकार कं01 श्रीमती प्रियंका पक्षकार कं02 अमितसिंह की विवाहिता पत्नी होना स्पष्ट है । आपसी सहमति के आधार पर उभयपक्षकारों के हस्ताक्षरित तथा फोटोयुक्त याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम पेश किया गया है । उभयपक्षकारों के मध्य आपसी सुलह-समझौते होने की कोई संभावना नहीं है और न ही उनके साथ साथ रहने की भी कोई संभावना भी दर्शित नहीं होती है । उभयपक्ष करीब एक वर्ष से भी अधिक अवधि से अलग

अलग रह रहे हैं । आवेदनपत्र पेश हुये 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है । पक्षकारों के द्वारा यह व्यक्त किया गया कि विवाह के समय दान दहेज में दिया हुआ सभी सामान एवं सम्पूर्ण भरण पोषण पक्षकार कं01 को दे दिया गया है अब पक्षकार कं01 किसी प्रकार का कोई भरण पोषण पक्षकार कं0 2 से प्राप्त भी नहीं करना है ।

5- विचारोपरान्त उपरोक्त सभी परिप्रेक्ष्य में उभयपक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम स्वीकार करते हुये इस संबंध में उभयपक्षों की सहमति के परिप्रेक्ष्य में निम्न आशय की आज्ञाप्ति पारित की जाती है :-

1-आवेदक पक्षकार कं01 श्रीमती प्रियंका तथा अमितसिंह पक्षकार कं02 के मध्य सम्पन्न हुआ विवाह दिनांक 31-1-13 आपसी सहमती के आधार पर बिच्छेदित किया जाता है ।

2-उभयपक्षकार वैवाहिक संबंधों से स्वतंत्र रहेंगे ।

3-उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड